

10.07.2021

प्रकरण नेशनल लोक अदालत में मेरे समक्ष पेश।
आवेदिका द्वारा श्री सोनोने अधि. उपस्थित।
अनावेदक अनुपस्थित।

प्रकरण लोक अदालत में आदेश हेतु नियत है।
प्रकरण के अवलोकन से आवेदिका द्वारा यह प्रकरण अनावेदक
के विरुद्ध भरणपोषण राशि वसूली बाबद प्रस्तुत किया गया है।
आवेदिका को संपूर्ण वसूली राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसके संबंध में
पूर्व दिनांक को आवेदिका ने आदेश पत्रिका के हाशिए पर पूर्ण राशि
प्राप्त होने की प्राप्ति अभिस्वीकृति अंकित की है। अतः प्रकरण को पूर्ण
संतुष्टि में खारिज किया जाता है।

परिणाम पंजी पर दर्ज हो। प्रकरण तैयार कर नियत अवधि में
अभिलेखागार प्रवेश हो।

सदस्य

सदस्य

(चारुलता दांगी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क्रमांक—.....

MSCL
23/23

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
केन्द्रीय आपराधिक
य का नाम :-
MSCL